राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकःनिदे/मु.नि.द.यो./2016/ दिनांक

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें,
जोन– कोटा
राजस्थान।

विषय :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/बूंदी/झालावाड के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक 3306 दिनांक 11.11.2016 , स्मरण पत्रांक 4005 दिनांक 05.12.2016 एवं पत्रांक 4041 दिनांक 16.12.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों एवं दूरभाष पर आपके अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/ बूंदी/झालावाड को द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की औषधियॉं, सर्जिकल एवं सूचर्स की वार्षिक मांग हार्ड कॉपी एवं ई–मेल आई.डी nomndy@gmail.com पर भिजवाने हेतु बार–बार निर्देशित किये जाने के बाद भी आज दिनांक तक उनके द्वारा सूचना निदेशालय में नहीं भिजवाई गई है।

उपरोक्त सूचना अविलम्ब भिजवाने हेतु निदेशालय स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/बूंदी/झालावाड को दिनांक 16.12.2016 द्वारा निर्देश प्रदान करते हुए सूचना नहीं भिजवाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा **निदेशालय के निर्देशों की पालना नहीं की गई है। उनका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता** है।

अतः उपरोक्त सूचना अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था कराते हुए तीन दिवस में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/बूंदी/झालावाड के विरूद्ध सीसीए 17 में प्रस्ताव तैयार कर अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर

क्रमांकः निदे/मु.नि.द.यो./2016/4083 दिनांक 28/12/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित), मुख्यालय जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/बूंदी/झालावाड ।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करे।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर